[भारत के राज-पत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना

सं० 70 / 2018 -सीमाशुल्क (गै.टे.)

नयी दिल्ली, दिनांक 3 अगस्त, 2018

सा. का. नि. ------ (अ).- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) और धारा 5 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद द्वारा, नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (1) में उल्लिखित अधिकारियों को सीमाशुल्क अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है और उनको उक्त सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट आयुक्त, सीमाशुल्क (अपील) के कार्यों को सौपता हैं, यथा:-

सारणी

अधिकारी	क्षेत्राधिकार	शर्त
(1)	(2)	(3)
(i) आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर, आइजाल; (ii) आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर, दिमारपुर; (iii) आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर, इम्फाल.	आयुक्त, सीमाशुल्क (अपील), कोलकाता, जैसा कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 92/2017- सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 28 सितंबर, 2017, जिसे सा. का. नि. 1210 (अ) दिनांक 29 सितंबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में विनिर्दिष्ट है।	आयुक्त, सीमाशुल्क (अपील), कोलकाता, के यहाँ 31 जुलाई, 2018 को या उसके पहले दायर अपीलों से संबन्धित मामले, जिसे प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क, कोलकाता के आदेश के द्वारा यथा निर्धारित किया जाए।

[फ़ाइल संख्या 437/48/2014-सीमाशुल्क IV]

(जुबैर रियाज़)

निदेशक (सीमाशुल्क)